नागरिक अधिकार पत्र

1. हमारा ध्येय वाक्य

एक सब के लिये सब एक के लिये

2. हमारा दर्शन

आत्म निर्भरता, स्वावलम्बन एवं पारस्परिक सहयोग ।

3. सहकारिता के सिद्धान्त

- स्वैच्छिकऔर खुली सदस्यता
- सदस्य की आर्थिक भागीदारी
- शिक्षण, प्रशिक्षण एवं सूचना
- प्रजातांत्रिक सदस्य नियंत्रण
- स्वायत्ता एवं स्वतंत्रता
- सहकारी समितियों में परस्पर सहयोग
- समुदाय के प्रति निष्ठा

4. हमारा उद्देश्य

सहकारिता के माध्यम से राज्य की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना तथा एक मजबूत शोषण मुक्त स्वावलम्बी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, जिसमें किसानों, श्रमिकों,महिलाओं, ग्रामीण दस्तकारों, शिल्पकारों एवं छोटे–छोटे अन्य व्यवसायों में लगे व्यवसायियों एवं उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त रखते हुए उनके श्रम अथवा उत्पादन का उचित मूल्य दिलाया जा सके तथा साथ ही उपभोक्ता को भी उचित दामों पर सही वस्तु प्राप्त हो सके। विभाग द्वारा सहकारी संस्थाओं का पंजीकरण, एवं विनियमन किया जाता है तथा उन्हें प्रचलित योजनानुसार राजकीय सहायता दिलाने में सहयोग किया जाता है।

5. सहकारी समितियों के गठन की जानकारी

1. **कौन बना सकते हैं सहकारी समिति**: सामान्यतः किसी सहकारी समिति के गठन के लिए 15 व्यक्तियों, जो भिन्न–भिन्न परिवार के सदस्य हो, का होना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि किसी समिति में आवेदक सहकारी संस्थाऐं हैं तो कम से कम 5 समितियां आवेदक होनी चाहिए ।
2. **न्यूनतम हिस्सों की संख्या**: प्रत्येक सदस्य,जिसमें प्रस्तावक सदस्य भी सम्मिलित है, को संबंधित समिति के उपनियमानुसार निर्धारित न्यूनतम हिस्से खरीदना अनिवार्य है ।साथ ही प्रत्येक सदस्य द्वारा रूपये 10/–प्रवेश शुल्क के रूप में भी देय है।
3. **आवेदन पत्र व उस की उपलब्धता**: आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए (जो कि राज.राज्य सहकारी मुद्रणालय जयपुर में उपलब्ध है तथा विभागीय वेबसाईट राज कोपरेटिव.एनआईसी.इन से भी डाउनलोड किया जा सकता है)।
4. **पंजीकरण शुल्क**: सहकारी संस्था के पंजीकरण हेतु विभाग द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
5. **आवेदन पत्र के साथ संलग्नक**: प्रस्तावित उप नियमों की तीन प्रतियां एवं सदस्यों की न्यूनतम अंश पूंजी तथा प्रवेश शुल्क की राशि के बैंक में जमा होने की रसीद।

6. **आवेदन पत्र किसे प्रस्तुत किया जाना है:** प्राथमिक स्तर की सहकारी संस्था के लिए जिले के उप/सहायक रजिस्ट्रार को, केन्द्रीय स्तर की सहकारी संस्था के लिए खण्डीय संयुक्त रजिस्ट्रार को, शीर्ष स्तर की सहकारी संस्था के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर को।

7. **सहकारी संस्था के पंजीकरण हेतु समय सीमा:** आवेदन पत्र की प्राप्ति के 60 दिन की अवधि में पंजीयन किया जाता है। यदि किसी कारणवश ऐसा नही हो पाता है तो 60 दिन (पंजीयन हेतु निर्धारित अवधि) के पश्चात् 30 दिन के भीतर–भीतर प्राथमिक तथा केन्द्रीय सोसायटियों के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ, राजस्थान जयपुर के तथा शीर्ष सहकारी समितियों के लिए राज्य सरकार के समक्ष समावेदन किया जा सकता है।

8. **पंजीयन नहीं करने की स्थिति में विधिक अधिकार:** किसी सहकारी संस्था को पंजीकृत करने से मना करने की स्थिति में, जहॉ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उसका अधीनस्थ है, वहॉ रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी राजस्थान को, समावेदन किया जा सकता है, जबकि शीर्ष संस्था के मामले में राज्य सरकार के समक्ष समावेदन किया जा सकता है।

6 सहकारी समितियों के सदस्य बनाने संबंधी जानकारी

1. **सदस्य कौन बन सकते हैं ?**

   अ. भारत का कोई भी नागरिक जो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, स्वस्थचित का है, तत्समय प्रवृत्त और उस पर लागू किसी विधि द्वारा संविदा करने से निरर्हित नहीं है, सोसायटी की सेवाओं का उपयोग करने का इच्छुक है और ऐसी सदस्यता से सम्बद्ध उत्तरदायित्वों और दायित्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार है,

   ब. कोई भी अन्य सहकारी सोसाइटी

   स. राज्य सरकार, अथवा

   द ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति, निकाय या स्थानीय प्राधिकारी, जैसा कि नियमों में विहित किया गया हो।

2. **सदस्य बनने के लिए किसे आवेदन करें ?**: किसी सहकारी संस्था का सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र संबंधित संस्था के मुख्य कार्यकारी के माध्यम से प्रबन्ध समिति को प्रस्तुत किया जा सकता है। संस्था को किसी कारण से आवेदन प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो तो संबंधित पंजीकरण अधिकारी के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. **सदस्यता के लिये निर्धारित अवधि**: आवेदन पत्र की प्राप्ति के 30 दिन ।

4. **सदस्यता प्रदान नहीं किये जाने की अवस्था में सदस्यता प्राप्ति हेतु विधिक अधिकार:**

   यदि समिति सदस्यता के लिए आवेदन पत्र अस्वीकार करती है, तो ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध राज. सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार को अपील की जा सकेगी। इसी प्रकार यदि कोई समिति अपने निर्णय या अस्वीकृति से सूचित

नहीं करती है तो आवेदक उक्त समय (30 दिवस) की समाप्ति से साठ दिवस की अवधि के भीतर राज. सहकारी सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रार (पंजीकरण अधिकारी ,जो प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के लिए जिला/इकाई में पदस्थापित उप/सहायक रजिस्ट्रार केन्द्रीय सोसायटियों के लिए खण्ड का सयुॅक्त रजिस्ट्रार तथा शीर्ष संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान है, को निवेदन कर सकेगा।

7. सामान्य नागरिकों द्वारा किस–किस प्रकार की सहकारी समिति का गठन किया जा सकता है?

कोई भी ऐसी आर्थिक गतिविधि,जो विधि विरूद्व नहीं हो,और जो सदस्यों के आर्थिक हितों के उन्नयन में सहायक हो, को संपादित करने के लिए सहकारी सोसायटी का गठन किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप कुछ संभावित सहकारी समितियों का उल्लेख किया जा रहा हैः–

1. **कृषि उपज संबंधीः** कृषि उपज के विपणन, उत्पादन एवं विधायन हेतु ।
2. **कृषि उपज प्रोन्नति संबंधीः** कृषि कार्य हेतु ऋण साख उपलब्ध कराने, बीज एवं उपकरण आदि कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ।
3 **औघोगिक विकास संबंधीः** बुनकरों, बढ़इयों, वन श्रमिकों, चर्म शोधकों, ऊन विधायन, चीनी मिलें, तेल मिलें आदि उघोगों हेतु ।
4, **कृषि सहायक संबंधीः** पशु पालन अभियोजन, दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन, ऊन उत्पादन एवं संग्रहण, मछली पालन, रेशम व मशरूम उत्पादन हेतु ।
5. **नगरीय क्षेत्र संबंधीः** कर्मचारियों की साख एवं बचत हेतु नागरिक बैंकों हेतु ।
6. **अन्य सामाजिक उदेश्यों संबंधीः** उन्नत जीवन निर्वाह, शिक्षा सेवा, उपभोक्ताओं के उपभोग संबंधी , यथा अल्पाहार गृह, उपभोक्ता वस्तुओं के भण्डार आदि के लिए समितियॉ।
7. **भवन निर्माण संबंधीः** भवन निर्माण, गृह ऋण साख, गृह सज्जा, गृह मरम्मत आदि से संबंधित संस्थाऐं। इसी प्रकार सदस्य किसी अन्य व्यवसाय को लेकर भी सोसायटी का गठन कर सकते हैं।

8. संस्थाओं के गठन की जानकारीः (राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत)

1. **कौन–कौन सी संस्थाएं पंजीकृत की जा सकती है** ?: राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों वाली संस्थाऐं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो, पंजीकृत की जा सकती है :–

   - **पूर्त प्रयोजन(चेरीटेबल)**हेतु संस्थाऐ ;(सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, विकास आदि हेतु)
   - सैनिकों के कल्याण हेतु
   - साहित्य, विज्ञान, ललित कलाओं के विकास हेतु
   - शिक्षण या उपयोगी जानकारी अपक राजनीतिक शिक्षा के प्रमाण के लिए

- जन सामान्य के उपयोग के लिए पुस्कालय, वाचनालय की स्थापना, अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों, लोक संग्रहालय, के लिये
- खादी व अन्य औघोगिक संस्थाओं के प्रशिक्षण लिये
- प्राकृतिक इतिहास के संकलन, यात्रिंक और दार्षनिक अविष्कारों, लिपिकों, अधिक कलाओं के लिए

2. **संस्थाएं कौन बना सकते हैं?:** कोई सात या अधिक व्यक्ति एक संगम के ज्ञापन (मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन)में अपने नाम हस्ताक्षरित करके संस्था रजिस्ट्रार (जो जिले/इकाई में पदस्थापित उप/सहायक रजिस्ट्रार है) के पास प्रस्तुत करके गठित कर सकते हैं।

3. **आवेदन–पत्र व उसकी उपलब्धता:** आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए, जो राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय में मुद्रित रूप में निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध है कोई आवेदक अधिनियम के प्रावधानों का ध्यान रखते हुये स्वयं पृथक से भी आवेदन पत्र तैयार कर प्रस्तुत कर सकता है।

4.**पंजीकरण शुल्क** :प्रत्येक गठित होने वाली सोसायटी के लिए पंजीयन शुल्क 2500/– (शब्देन दो हजार पांच सौ रूपये मात्र) निर्धारित है। कतिपय वर्गो की सोसाइटियों, यथा गोशाला, जलग्रहण संस्थाओं एवं नेहरू युवा केन्द्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारितानुसार कम शुल्क पर भी पंजीयन किया जाता है।

5.**आवेदन पत्र के साथ संलग्नक:** निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र, जिसमें सोसायटी के संगम का ज्ञापन एवं सोसायटी के विनियमों की मूल प्रति सम्मिलित है,के तीन सेट

6.**आवेदन पत्र किसे प्रस्तुत किया जाना है?:** आवेदन पत्र जिले के ''रजिस्ट्रार संस्थाऐं'' (अर्थात् उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां) को प्रस्तुत किया जा सकता है।

7.**निस्तारण अवधि:** आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकतम सात कार्य दिवस के भीतर आवेदन पत्र का परीक्षण यदि कोई कमी पायी जाती है, तो उससे आवेदक को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा कमियों की पूर्ति कर दिए जाने की स्थिति में सात कार्यदिवस के भीतर आवेदन पत्र का पूर्ण निस्तारण किया जावेगा।

9. सूचना का अधिकार: सहकारिता विभाग के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ है, तथा जिलेवार सूचना अधिकारी उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार है,जो निम्नानुसार है:–

लोकप्राधिकरण का नाम	**क्रम सं.**	**राज्य लोक सूचना अधिकारी**	**कार्यक्षेत्र**
सहकारिता विभाग		रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ राजस्थान जयपुर	रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ राजस्थान जयपुर के स्तर से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता	1	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ जयपुर	जिले में स्थित सहकारिता विभाग

विभाग		(शहर)	के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**2**	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ दौसा	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**3**	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ सीकर	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**4**	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ झूझूनू	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**5**	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ भरतपुर	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**6**	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ अलवर	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**7**	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ सवाईमाधोपुर	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**8**	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ करौली	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**9**	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ धौलपुर	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**10**	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ कोटा	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**11**	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ बांरा	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**12**	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ झालावाड़	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**13**	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ बूँदी	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से

			संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**14**	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ अजमेर	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**15**	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ भीलवाड़ा	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**16**	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ नागौर	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**17**	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ टोंक	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**18**	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ बीकानेर	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**19**	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ श्रीगंगानगर	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**20**	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ हनुमानगढ	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**21**	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ चूरू	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	**22**	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ जोधपुर	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये

सहकारिता विभाग	23	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ पाली	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	24	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ जैसलमेर	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	25	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ बाड़मेर	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	26	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ सिरोही	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	27	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ जालौर	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	28	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ उदयपुर	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	29	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ डूँगरपुर	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	30	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ चित्तोड़गढ	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	31	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ बांसवाड़ा	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये
सहकारिता विभाग	32	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ राजसमंद	जिले में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये

10. दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थाः दीर्घकालीन ऋण व्यवस्था हेतु राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर एवं 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक अपनी 131 शाखाओं

के माध्यम से लघु सिंचाई जैसे नवकूप निर्माण, कूप गहरा करवाने, पम्पसेट, पाईपलाईन, स्प्रिंकलर सैट आदि,कृषि यंत्रीकरण जैसे ट्रैक्टर,थ्रेशर,विविधिकृत,उददेश्यों जैसे डेयरी मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़पालन ग्रामीण गोदाम निर्माण, वर्मी कम्पोस्ट खाद, मधुमक्खी पालन आदि। अकृषि उददेश्यों जैसे लघु उघोग इकाई स्थापित करने एवं ग्रामीण आवास व एसआरटीओ योजना के अन्तर्गत छोटे परिवहन वाहनों हेतु ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं।इसके साथ वर्तमान में महिला विकास योजना के तहत एवं सहकार प्रभा योजना के तहत 5 से 15 वर्ष की अवधि के दीर्घकालीन ऋण राज्य के किसानों को उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

1.सूचना के अधिकार के तहत

1. राज्य की 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं उनकी 131 शाखाओं में चल रही योजनाओं को कृषकों की जानकारी हेतू सूचना पट पर दर्शाया जाता है।
2. बैंकों एवं शाखाओं में ऋण संबंधी, वसूली संबंधी एवं अन्य कार्य–कलापों संबंधी जानकारी अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती है।
3. नई ऋण योजनाओं की जानकारी राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को दी जाती है तथा प्राथमिक भूमि विकास बैंकों एवं उनकी शाखाओं द्वारा यह जानकारी कृषकों/आवेदकों/संबंधित व्यक्तियों को सुलभ कराई जाती है ।
4. ऋणी द्वारा चाहे जाने पर उसके ऋण खाते, पास बुक, मांग वसूली एवं बकाया स्थिति की जानकारी त्वरित रूप से उपलब्ध कराई जाती है
5. ऋण स्वीकृति/अस्वीकृति की स्थिति की जानकारी तथा ऋण प्रक्रिया अन्तर्गत मार्ग दर्शन कृषक/आवेदक/ऋणी को दी जाती है ।

2.बैंक सेवा प्राप्त करने की जानकारी

1. **पात्रताः** क्षेत्र का वह कृषक/ग्रामीण, जो कि नियमानुसार वैध संविदा के योग्य हो ।
2. **सम्पर्क स्थान एवं प्राधिकृत अधिकारी**

   अ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की संबंधित शाखा पर शाखा सचिव।

   ब संबंधित प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रधान कार्यालय पर सचिव ।

   स संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक स्तर पर प्रभारी/ क्षेत्रीय प्रबंधक ।

   द राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,जयपुर प्रधान–कार्यालय पर महाप्रबंधक/प्रबंध निदेशक ।

3 निर्णय प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजः–

प्राथमिक बैंकों के उप नियम सं.31(5) के अनुसार बैंक की ऋण क्षमता एवं निर्धारित लक्ष्यों के भीतर रहते हुए नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत एवं शर्तो के अनुसार सदस्यों को शाखा सचिव द्वारा रू 50,000/–तक सचिव भूमि विकास बैंक द्वारा रूपये 50,000/– से अधिक एवं 2.50 लाख रूपये तक अध्यक्ष बैंक द्वारा रूपये 2.50 से अधिक एवं रूपये 5.00 लाख तक तथा 5.00 लाख से अधिक के ऋण संचालक मण्डल द्वारा गठित ऋण उप समिति द्वारा स्वीकृत किये जावेगें। अकृषि ऋण की 7.50 लाख रूपसे अधिक राशि की पत्रावलियॉ स्वीकृति हेतु राज्य भूमि विकास बैंक को भिजवाई जाती हैं।

विभिन्न योजनान्तर्गत अनुदान राशि एवं सहायता राशि की स्वीकृति भी राज्य भूमि विकास बैंक स्तर पर की जाती है।

4. ऋण प्राप्त करने की प्रकिया एवं आवश्यक दस्तावेजों का विवरणः—

बैंक से निर्धारित ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर रहन हेतु प्रस्तावित कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेज,प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करने होगेंः—

1. अंतिम जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि या पासबुक।
2. .इस अवधि में कोई परिवर्तन हुआ हो तो नामान्तरणकरण करने की प्रतिलिपि।
3. भूमि का नक्शा(पटवारी द्वारा प्रमाणित)
4. भूमि खरीद या अन्य परिवर्तन के कोई दस्तावेज हो, तो उनकी मूल प्रतिलिपि।
5. 50,000/— रू तक की ऋण राशि के मामलों में बकाया प्रमाण पत्र के स्थान पर निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थीयों का शपथ पत्र।

अन्य अचल संपति

1. रहन हेतु प्रस्तावित भूमि/भूखंड/आवासीय भवन/अन्य अचल संपति के संबंध में प्रार्थी द्वारा स्वामित्व बाबत सक्षम अधिकारी/सत्ता द्वारा जारी पट्टा व लीज डीड तथा अन्य आवश्यक अभिलेख जो प्रार्थी के स्वामित्व को प्रमाणित करते हो, मूल में उपलब्ध कराने होगें।
2. प्रार्थी को भूमि/भूखड/आवासीय भवन/अन्य अचल संपति का नक्शा एवं पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा तथा रहन हेतु प्रस्तावित संपति के मूल्यांकन के संबंध में मान्यता प्राप्त मूल्यॉकन कर्ता की रिपोर्ट सलंग्न करनी होगी।
3. 50,000/— रू तक की ऋण राशि के मामलों में दो व्यक्तियों की निजी जमानत निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करायी जायेगी।
4. प्रार्थी द्वारा चाहे जाने वाले ऋण के उद्देश्य का विवरण तथा उस पर होने वाले खर्च का अनुमानित ब्यौरा।

ऋण प्राप्त करने का निर्धारित शुल्क

ऋणी से स्वीकृत ऋण राशि के 0.25 प्रतिशत के बराबर प्रशासनिक शुल्क लिया जावेगा। कृषि ऋणों के मामले अधिकतम सीमा 5,000/—रू तथा अकृषि एवं आवास ऋणों में 0.25 प्रतिशत की दर से ही प्रशासनिक शुल्क लिया जावेगा।

1. ऋणी कृषकों से वितरित ऋण राशि पर निर्धारित दर 2.00 लाख तक 5 प्रतिशत तथा 2. 00 से अधिक पर 3 प्रतिशत की दर से हिस्सा राशि ली जावेगी।

सेवा प्राप्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम समय सीमा

1. ऋण पत्रावली में वांछित समस्त दस्तावेजात एवं औपचारिकताएं पूर्ण होने पर ऋण स्वीकृति/वितरण की समय सीमा निर्धारणः—

क.स.	कार्य विवरण	स्तर	समय सीमा
1	ऋण प्रार्थना पत्र प्राप्ति एवं जांच	शाखा	एक दिवस
2	ऋण क्षमता का आकलन	शाखा	दो दिवस
3	ऋण स्वीकृति/स्वीकृति हेतु प्रधान कार्यालय को भिजवाया जाना	शाखा	दो दिवस
4	प्रधान कार्यालय (प्राथमिक बैंक) स्तर पर जांच	प्राथमिक बैंक प्रधान कार्यालय	दो दिवस
5.	सचिव द्वारा स्वीकृति/अध्यक्ष को सिफारिश	प्रा.बैंक प्रधान कार्यालय	तीन दिवस
6.	अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति	प्रा.बैंक प्रधान कार्यालय	तीन दिवस
7.	ऋण उप समिति द्वारा स्वीकृति	प्रा.बैंक प्रधान कार्यालय	पन्द्रह दिवस
8.	राज्य भूमि विकास बैंक स्तर पर ऋण स्वीकृति	राज्य भूमि विकास बैंक प्रधान कार्यालय	सात दिवस

2. **विभिन्न स्तरों पर ऋण स्वीकृत होने में अधिकतम समय सीमा का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है:–**

1.	शाखा सचिव,प्राथमिक बैंक	5 दिवस
2.	सचिव, प्राथमिक भूमि विकास बैंक	5 दिवस
3.	अध्यक्ष, प्राथमिक भूमि विकास बैंक	3 दिवस
4.	ऋण उप समिति	15 दिवस
5.	राज्य भूमि विकास बैंक	7 दिवस

(ऋण अस्वीकृति की सूचना कृषक को कारण सहित दी जाती है)

3. ऋण वितरण के लिए ऋण स्वीकृति के पश्चात् 3 दिवस में कृषक को ऋण स्वीकृति शर्तो एवं रहन पत्र निष्पादित करने हेतु सूचित किया जाता है। रहन पत्र निष्पादत करने के पश्चात् रहन भूमि पर बैंक का भार दर्ज कराने के बाद 2 दिवस में ऋण वितरण किया जाता है।

शिकायत किससे करें ?

1.	वांछित सूचना नहीं मिलने पर	संबंधित प्राथमिक बैंक के सचिव से
2.	वांछित सेवा नहीं मिलने पर	संबंधित प्राथमिक बैंक के सचिव से
3.	समय पर सेवा नहीं मिलने पर	सबंधित प्राथमिक बैंक के सचिव से
4.	वित्तीय अनियमितता होने पर	अ– संबंधित प्रा. बैंक के अध्यक्ष/प्रशासक को **ब– राज्य भूमि विकास बैंक के प्रबन्ध निदेशक** स– रजिस्ट्रार सहकारी समि. राज जयपुर को

कार्य नहीं होने पर शिकायत/निस्तारण प्रावधान

1. शाखा सचिव, प्राथ.सह.भूमि विकास बैंक की शिकायत

   सचिव, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक को

2. सचिव प्राथमिक सह. भूमि विकास बैंक की शिकायत

   प्रशासक/अध्यक्ष, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक को

3. प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की शिकायत

1. प्रबन्ध निदेशक राज्य भूमि विकास बैंक लि0

2. रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ,राजस्थान जयपुर

10. अल्पकालीन ऋण व्यवस्था

राज्य में अल्पकालीन ऋण व्यवस्था हेतु एक राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक 5255 ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्तरीय ढांचे के जरिये केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को उनकी ऋण क्षमता के अनुसार अधिकतम 50,000/–से 60,000/–रूपये तक के अल्पकालीन फसली ऋण दिये जाते हैं इसके अतिरिक्त कृषि प्रयोजनार्थ ट्रेक्टर कम ट्रोली थ्रेसर, पम्पसेट, पाईपलाईन एवं डेयरी हेतु भी ऋण स्वीकृत किये जाते हैं। ग्रामीण अंचल में लघु उघोगों की स्थापना/व्यवसाय हेतु भी केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। इन बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के सर्वागीण विकास के लिए वाहन ऋण, भवन निर्माण/क्रय/हॉस्पिटल/होटल निर्माण के लिए भी ऋण दिया जाता है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अन्य योजनाओं में डॉक्टर, इन्जीनियर इत्यादि व्यवसाईयों को कार ऋण सरकारी कर्मचारियों को उपभोक्ता ऋण व व्यवसायियों को माल को दृष्टिबन्धक रखने योग्य क्रेडिट लिमिट की सुविधा दी जाती है ।

केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से उनके सदस्यों की जरूरतों के अनुरूप कई प्रकार की ऋण योजनायें प्रारम्भ की गई है। कृषक मित्र योजना के अन्तर्गत बड़े किसानों को उनकी ऋण क्षमता के अनुसार अधिकतम 3.50 लाख रूपये के फसली ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। नहरी क्षेत्रों में यह सीमा 4.00 लाख रूपये तक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन मंगल आवास योजना लागू है।, जिसके तहत आवास/व्यावसायिक भवन निर्माण, मरम्मत ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारी स्वरोजगार योजना लागू की गई है, जिसके तहत पचास हजार तक के ऋण दिये जाते हैं। हाल ही में स्वयं सहायता समूह योजना के तहत ग्रामीण गरीब भूमिहीन मजदूर, महिला समूह, इत्यादि अपनी जरूरतों के लिए 10 से 20 व्यक्तियों का समूह बनाकर अपनी जमा के अधिकतम दस गुना तक के ऋण ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से सीसीबी की स्थानीय शाखाओं द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं।

सहकारी ऋणों की प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिए अल्पकालीन ऋण एवं कृषक मित्र योजना हेतु सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड प्रदत्त किये गये हैं, जिसके जरिये ऋणी सदस्य स्वीकृत साख सीमा के अन्तर्गत अपनी आवश्यकतानुसार बैंक शाखा से ऋण प्राप्त कर सकता है ।

राज्य में समस्त कृषकों को फसली ऋण प्राप्त करने पर फसली बीमा की सुविधा उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार

1. बैंकों की समस्त शाखाओं के सूचना पट्ट पर विभिन्न अमानत योजनाओं एवं देय ब्याज दर की सूचना, विभिन्न ऋण योजनाओं की सूचना ।
2. जमा एवं ऋण खाते की पास बुक दिये जाने की व्यवस्था ।
3. बैंक स्तर पर संबंधित खातेदार को खाते की प्रति उपलब्ध करवाने की सुविधा ।

बैंक सेवायें प्राप्त करने की जानकारी

1. **पात्रता–** क्षेत्र का वह प्रत्येक नागरिक, जो कि नियमानुसार वैध संविदा करने के योग्य हो।
2. **सम्पर्क स्थानः**

   अ. ग्राम सेवा सहकारी समिति क्षेत्र में समिति कार्यालय।

   ब. संबंधित बैंक शाखा।

   स. केन्द्रीय सहकारी बैंक मुख्यालय पर पबंध निदेशक कार्यालय।

   द. शीर्ष बैंक मुख्यालय पर जन सम्पर्क अधिकारी।

प्राधिकृत अधिकारी कौन है ?

1.	समिति स्तर पर	समिति व्यवस्थापक
2.	बैंक शाखा स्तर पर	शाखा प्रबन्धक
3.	केन्द्रीय सहकारी बैंक स्तर पर	प्रबन्ध निदेशक
4.	शीर्ष बैंक मुख्यालय	जन सम्पर्क अधिकारी

बैंकिंग सेवा प्राप्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम समय सीमा

1.	गणक द्वारा	3 से 5 मिनट
2.	नकद काउन्टरपर कैशियर	5 से 15 मिनट

नकदी प्राप्ति

1.	नकदी जमा कराने पर	10 से 20 मिनट सामान्यतया
2.	अन्तरण चैक से	10 से 30 मिनट

सावधि जमा रसीदें जारी करना

1.	स्थानीय शाखाओं पर आहरित चैक	1 से 3 दिन
2.	बाहर से शाखाओं पर आहरित चैक	10 से 15 दिन सामान्यतया

(बशर्ते की डाक में विलम्ब न हो)

ऋण स्वीकृति

1.	अल्पकालीन ऋण साख सीमा स्वीकृति	एक माह
2.	कृषक मित्र योजना	एक माह
3.	कृषक ज्योति योजना	एक माह
4.	मध्यकालीन कृषि ऋण	15दिन
5.	अकृषि ऋण (योजना ऋण)	1 से 45 दिन

नोटः उपरोक्त ऋण स्वीकृति के समय ऋण प्रार्थना पत्र सम् पूर्ण रूप से सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् लागू होगा ।

शिकायत किससे करें ?

	वांछित सूचना नहीं मिलने पर	संबंधित बैंक के प्रबंध निदेशक को
	वांछित सेवा नहीं मिलने पर	संबंधित बैंक के प्रबंध निदेशक को
	समय पर सेवा नहीं मिलने पर	संबंधित बैंक के प्रबंध निदेशक को
	वित्तीय अनियमितता होने पर	(अ) संबंधित बैंक के प्रबन्ध निदेशक को (ब) संबंधित बैंक के प्रशासक / अध्यक्ष को (स) रजिस्ट्रार,सह.समि.राज.जयपुर को

11. नागरिक सहकारी बैंक

राज्य में वर्तमान समय में 38 नागरिक बैंक कार्यरत हैं। इन नागरिक सहकारी बैंकों द्वारा अपने क्षेत्र से जमाएं प्राप्त कर उपभोक्ता, भवन निर्माण एवं वाहन इत्यादि ऋण प्रदत्त किये जाते हैं। इन बैंकों के जरिये महिला उत्थान हेतु एवं उन्हें रोजगार एवं ऋण के अवसर प्रदान करने हेतु 6 महिला नागरिक सहकारी बैंक बनाये गये हैं।

राज्य के सहकारी बैंकों में आम जनता को अपनी अमानत रखने पर सबसे बड़ा फायदा यह है आकार्षक ब्याज दर पर जमाये भी जाती है। साथ ही एक लाख रू. तक की जमा बीमित होती है। सहकारी बैंकों द्वारा आम जनता को राष्ट्रीय बचत पत्र एवं बैंक में सावधि जमा पर ऋण देने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। किसी भी नागरिक सहकारी बैंक की सदस्यता हेतु पात्र व्यक्ति को संबंधित बैंक की नियमानुसार सदस्यता प्राप्त करने में कठिनाई हो तो क्षेत्र के उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं ।

12. उपभोक्ता सहकारिता

राज्य में शीर्ष स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कानफैड)एवं जिला स्तर पर 32 सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार द्वारा उपभोक्ता सामग्री की बिक्री के साथ–साथ मेडिकल का व्यवसाय, लेवी चीनी कपड़ा आयातित खाद्य तेल, गैस आदि नियंत्रित वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पैन्शनर्स को निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध करवाने के साथ–साथ पैन्शनर्स को एन.ए.सी. एवं उसके आधार पर क्रय की गई दवाओं का पुनर्भरण भी किया जा रहा है।

शिकायत का निराकरण

क्र.	**शिकायत का विषय**		**शिकायत कहां की जावे**
1.	उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवता/ कीमत /तोल और अनुपलब्धता तथा कर्मचारी के व्यवहार के संबंध में	(1)	उपहार बिक्री केन्द्र पर स्थित शिकायत पेटिकाओं में शिकायत पत्र डाले ।

		(2)	बिक्री केन्द्र पर स्थित शिकायत रजिस्टर में दर्ज करें
		(3)	बिक्री केन्द्र के इन्चार्ज को शिकायत से अवगत करावें ।
2.	बिक्री केन्द्र इन्चार्ज द्वारा निराकरण नहीं करने अथवा इन्चार्ज/कर्मचारी के संबंध में शिकायत होने पर उसकी शिकायत	(1)	प्रबंधक मार्केटिंग,नवजीवन सहकारी बाजार 22 गोदाम,जयपुर
		(2)	महाप्रबंन्धक/प्रबन्ध निदेशक नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड,जयपुर

दवा बिक्री केन्द

1.	समय पर नहीं खुलने	दवा बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध शिकायत पेटी
2.	दवाई उपलब्ध नहीं होने	एस.एम.एस.स्थित सहायक प्रबन्धक से सम्पर्क करें
3.	दवा की कमी	नेहरू प्लेस स्थित मैनेजर मेडिकल को शिकायत करें
4.	एन.ए.सी	प्रबन्धक/महाप्रबन्धक/प्रबन्ध संचालक से सम्पर्क करें
5.	पेन्शनर को दवा नहीं मिलने पर	प्रबंध निदेशक को शिकायत करें
6.	उचित व्यवहार में कमी होने पर	प्रबन्धक/महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक को शिकायत करें।

13. विपणन सहकारी समितियॉ

राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में विपणन सहकारी समितियों की प्रमुख भूमिका है । राज्य में 208 विपणन सहकारी समितियॉ (फल–सब्जी क्रय–विक्रय सहकारी समितियां सहित)लगभग सभी तहसील मुख्यालय पर गठित है । विपणन सहकारी समितियां की शीर्ष संस्था के रूप में राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0. ,जयपुर(राजफैड)कार्यरत है ।

विपणन समितियॉ द्वारा वर्तमान में निम्न कार्य सम्पादित किया जा रहा है :–

1. समर्थन मूल्य पर उपज की खरीद कर कृषकों को उनकी उपज का समय पर व उचित मूल्य दिलाना ।
2. कृषकों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों व सीधे कृषि अनुदान उपलब्ध कराना ।
3. शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य पर उपभोक्ता सामग्री का वितरण करना ।

4. कृषकों व ग्रामीण स्तर पर सहकारी भण्डारण की व्यवस्था सुलभ कराना ।

5. आवश्यकतानुसार स्वयं के लिए तथा सदस्यों, राज्यस्तरीय/राष्ट्रस्तरीय संस्थाओं के लिए कृषि उपज क्रय करना, भण्डारण करना तथा उनकी बिक्री करना ।

6. कृषि उत्पादन हेतु उत्तम बीज,समस्त प्रकार की रासायनिक खाद,कीटनाशक औषधियां,पशु आहार आदि सदस्य कृषकों तथा आम जनता को उपलब्ध कराना ।

फल सब्जी क्रय–विक्रय सहकारी समितियॉ का गठन मूलरूप से कृषकों को उनके फल सब्जी उत्पादों का समय पर उचित मूल्य दिलाने बिचौलियों से उनका शोषण रोकने तथा आम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर फल–सब्जी उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है ।

शिकायत होने पर किससे सम्पर्क करें

क्रय–विक्रय सहकारी समिति स्तर पर

क्र. स.	विवरण	कार्य अवधि		शिकायत निवारण हेतु प्राधिकृत अधिकारी
1	क्रय–विक्रय सहकारी समितियॉएवं किसानों को खाद एवं जिप्सम की आपूर्ति	नकदराशि जमा कराने पर उपलब्धता के आधार पर तत्काल आपूर्ति	1.	जिला स्तर पर उप/सहा.रजिस्ट्रार सह. समितियां
			2.	क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड
			3.	खंड स्तर पर सयुॅक्त रजि.सहकारी समिति
			4.	राज्य स्तर पर महाप्रबन्धक (कृषि आदान) राजफैड
2.	क्रय–विक्रय सहकारी समितियां एवं किसानों को बीज की आपूर्ति	नकद राशि जमा कराने पर उपलब्धता के आधार पर आपूर्ति	1.	जिला स्तर पर उप/सहा. रजि. सह. समितियॉ
			2.	**क्षेत्रीय स्तर पर** क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड **खण्डस्तरपर** संयु.रजि.सह.समितियॉ. **राज्य स्तर पर** .महाप्रबन्धक (कृषि आदान)राजफैड

राजफैड स्तर पर

क्र. स.	**विवरण**	**कार्यअवधि**		**शिकायत निवारण हेतु प्राधिकृत अधिकारी**
1.	समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद का काश्तकारों को	नैफैड/एफसीआई नोडल क्रय ऐजेन्सी से राशि प्राप्त होने पर सात दिवस में सामान्य	1.	समिति स्तर पर प्रबन्धक समिति
			2.	क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड
			3.	प्रबध संचालक, राजफैड

	भुगतान	परिस्थिति होने पर	4.	भारत सरकार द्वारा अधिकृत केन्द्रीय एजेंसी
2.	राजफैड द्वारा कृषि जिन्सों की वाणिज्यिक खरीद का भुगतान	अ. किसानों को मंडी धारा के अनुसार सामान्य परिस्थिति में ब. समिति को मंडी धारा के अनुसार 3 से 5 दिवस में सामान्य परिस्थितियों में	1.	समिति स्तर पर प्रबन्धक समिति
			2.	क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड
			3.	महाप्रबंधक (वाणिज्य)राजफैड
			4.	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा),राजफैड
3.	घरेलु गैस आपूर्ति	गैस बुक कराने के पश्चात् सामान्य परिस्थितियों में नीति निर्देशानुसार	1.	प्रभारी,गैस,अनुभाग
			2.	सम्बन्धित महाप्रबन्धक महाप्रबन्धक
4.	नये घरेलु गैस कनेक्शन रिलीज करना	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निर्देशानुसार आपूर्ति सुनिश्चित करना ।	1.	प्रभारी,गैस अनुभाग
			2.	प्रबंधक,इंडियन ऑयल कापोरेशन